न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

जीसीएमएस : 2011/00170

सं. 98/2011

1. रामचन्द्र पुत्र श्री नत्थुराम जाति मेघवाल साकिन सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —:वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। —:प्रतिवादी

तारीख रजू:— 06.07.2011

उपस्थित: 1. श्री रविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता वादी
2. राजपेरोकार सरकार प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 125—136 एलआरएक्ट,

——निर्णय—— दिनांक : 10.02.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी के पिता नत्थुराम पुत्र श्री आदूराम जाति मेघवाल निवासी 58 एन.पी. को सन् 1962 में वाके चक 58 एनपी के मु.नं. 45 के 8.10 बीघा रकबा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा आवंटित कीमतन किया जाकर कब्जा दिया गया, जिसकी किश्ते वगेरा भी नत्थुराम ने अपने जीवनकाल में खजाना राज में जमा करवायी ओर अपने जीवनकाल में उक्त रकबा पर काबिज काश्त रहे उनके देहान्त पश्चात उक्त रकबा उनके वारिसान को विरास्तन प्राप्त हुआ। खातेदारी सनद दिनांक 30.01.1978 को वादी पिता नत्थुराम के नाम जारी हुई। कि कब्जा काश्त, आवंटन अनुसार वादी के पिता नत्थुराम अपने जीवनकाल में अन्य भूमि के अलावा मु.नं. 45 के कि.नं. 17 के 14 बिस्वा यानि 0.177 है., 18—19 सालम, 20 में 0.228 है., 21 में 0.228 है. 22 ता 25 प्रत्येक सालम यानि 1.012 है. कुल 8.10 बीघा नहरी यानि 2.151 है. नहरी खातेदारी पर काबिज काश्त रहे ओर उनके देहान्त पश्चात वादी को उक्त रकबा घरेलू बंटवारा में प्राप्त होकर वादी के कब्जा काश्त मे निरन्तर व लगातार चला आ रहा है और मौका पर भी वादी की फसल बीजी हुई व खड़ी है और उक्त रकबा पर साधिकार कब्जा सन् 1962 आवंटन के रोज ही वादी के पिता के जीवनकाल में वादी के पिता का उनके देहान्त पश्चात वादी का निरन्तर व लगातार चला आ रहा है उक्त रकबा ही वादी के पिता को अन्य रकबा के साथ आवंटन फरमाया जाकर खातेदारी जारी की गई। कुछ अरसा पूर्व वादी को रिकार्ड की आवश्यकता होने पर पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने बताया कि वर्तमान रिकार्ड अनुसार वादी के नाम 2.151 है. ना होकर 1.645 ही है तब रिकार्ड की छानबीन कर प्रतिवादी से समस्त रिकार्ड दिखलाते हुये अनुरोध किया कि वादी वे वादी को 2.151 है. रकबा का खातेदार मानते हुए रिकार्ड में दुरूस्ती करें तो प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 04.07.2011 को बमुकाम रायसिंहनगर मं यह कहकर स्पष्ट इंकार कर दिया कि माननीय न्यायालय के आदेशों से ही दुरूस्ती संभव है। यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा व बिनाये मुखास्मत है। वादी के समक्ष माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वांछित अनुतोष प्राप्त के अलावा अन्य कोई चारा शेष न रहने पर वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी विवादित 2.151 है. रकबा पर अपने खातेदारी अधिकारों को घोषित करवा पाने व रिकार्ड मे दुरूस्ती करवा पाने का विधिक अधिकारों का हनन होगा व ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायालय कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जावे। कि वाके चक 58 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 45 के कि.नं. 17 के 14 बिस्वा, 18—19 सालम, 20—21 प्रत्येक 18—18 बिस्वा, 22 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 8.10 बिस्वा यानि 2.151 है. नहरी खातेदारी पर वादी के खातेदारी अधिकार किया जावे। कि वर्तमान जमाबंदी [illegible] 2067—20[illegible] [illegible] 58 एन.पी. खाता संख्या 54/46 के पं.नं. 220/345 मु.नं. 45 कुल खाता र[illegible] 1.64[illegible] है. नहरी व इससे पूर्व रिकार्ड में दुरूस्ती करते हुये कि.नं. 17 में [illegible] 0.253 है., 20 के 0.228 है., 21 के 0.228 है., 22 के 0.253 है., 23 [illegible] 0.253 है., 2[illegible] 0.253 है., 25 के 0.253 है. कुल 2.151 है. नहरी भूमि दर्ज किये जा[illegible] डिक्री पारित फरमावें।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी [illegible] किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की तरफ राजपेरोकार ,नायब तहसीलदार गजसिंहपुर हाजिर आकर जबाव दावा प्रस्तुत किया कि वाद—पत्र आंशिक स्वीकार है। अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:43:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

तथ्यों को सिद्ध करने का वार वादी पर है। रिकॉर्ड के अंकन की सीमा तक स्वीकार है। शेष तथ्य सिद्ध करने का भार वादी पर है। वाद –पत्र की मद सं. 4 के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अपने जबाव में विरोध प्रकट किया गया।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर से रिर्पोट प्राप्त की गई। रिर्पोट तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक 1669 दिनांक 29.4.2024 के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के चक 58 एन पी की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता नं. 76 के प.न. 220/345 मु. न. 45 के कि.न. 19/.177, 20/.228, 21/.228, 22/.253, 23/.253, 24/.253, 25/.25 कुल 1.645 है. नहरी कृषि भूमि रामचन्द्र पुत्र नत्थुराम हिरसा पूर्ण जाति मेघवाल सा. रातजण्डा खातेदार दर्ज रेकॉर्ड है। तथा मु.न. 45 के कि.न. 13/3 के 0.051, 17/2 के 126, 18/.253, 19/1 के 0.076 कुल 0.506है. नहरी कृषि भूमि आराजी राज दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकवा आराजी भूमि के आवंटन व खारिज सम्बन्धी कोई नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ है। मुताबिक रिकार्ड उक्त रकबा पर किसी न्यायालय का स्थगन आदि दर्ज नहीं है। मुताबिक तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट अनुसार सैल रजिस्टर संख्या 6/117 के आवंटी नत्थुराम पुत्र श्री आदूराम को चक 58 एनपी के मु.नं. 11 की 6.05 बीघा मु.नं. 8 की 9 बीघा, मु.नं. 45 की 8.10 बीघा भूमि 7125 रूपये आवंटन दर्ज है तथा आवंटन की समस्त राशि जमा है। जिसकी सनद सं.10684 दिनांक 31.1.78 को प्राप्त करने का नोट अंकित है। कार्यालय हाजा रिकार्ड में पर्चा लगान, गिरदावरी रिपोर्ट व मिसल बंदोवस्त में भी मु.नं. 45 के कि.नं. 19/2 में 0.177 है., 20/.228, 21/.228, 22/.253, 23/.253, 24/.253, 25/.253 नत्थुराम पुत्र आदूराम कौम मेघवाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड मु.न. 45 के कि.न. 13/3 के 0.051, 17/2के .126, 18/.253 , 19/0.076 कुल 0.506है. नहरी आराजीराज भूमि का आवंटन व खारिज का अंकन दर्ज नहीं है।

प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई कि:–

1. आया कि वादी के पिता नत्थूराम को अन्य भूमि के अलावा चक 58 एन पी के मु. न. 45 की 8–10बीधा नहरी यानि 2.151है. भूमि की जारी की गई थी ? —:जिम्मेवादी
2. आया कि मुताबिक जमाबन्दी में अंकन कि.न. 17–18–19–20–21, 22ता 25/4.00 कुल 8–10बीघा यानि 2.151 होनी चाहिए जो सहवन से वर्तमान जमाबन्दी में कुल 1.645 दर्ज होने के स्थान पर 2.151 संशोधन कराकर खातेदार घोषणा कराने का अधिकारी है ? —:जिम्मेवादी
3. आया कि उक्त त्रृटि लिपकीय श्रैणी में नहीं होने से वाद खारिज योग्य है ? —:राजपेरोकार प्रतिवादी

वादी ने अपने वाद–पत्र के साथ पर्ची नवीनीकृत बाराबन्दी वर्ष 2014–2016 नत्थूराम के नाम की, चक 58एन पी की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता नं. 1 रकबा राज, अपने स्वयं के नाम चक 58 एन पी की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता नं. 69/54 के प.न. 2/345 मु.न.45 के 1.645है. नहरी की प्रस्तुत की है तथा स्वयं के नाम का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है।

उभयपक्षकारन के अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:–

तनकी संख्या (A) आया कि वादी के पिता नत्थूराम को अन्य भूमि के अलावा चक 58 एनपी के मु. न. 45 की 8–10बीधा नहरी यानि 2.151है. भूमि की जारी की गई थी ? —:जिम्मेवादी

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज श्रीमान् जिलाधीश श्रीगंगानगर के द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 24.9.1962 के अनुसार वाके चक 58 एन पी के मु.न. 11 के 6.05 व मु.न. 8 [illegible] बीधा तथा मु.न. 45 के 8.10बीधा भूमि आवंटन हुई थीं जिसमें किले नहीं खुले हुये है [illegible] श्री मान् जिला कलक्टर श्री गंगानगर की सनद संख्या 10684 दिनांक 30.01.1978 [illegible] मु.न. 8 के कि.न. 11 के 0.18, 12/1.00, 13–14/2.00, 16 ता 19/4.00 [illegible] कुल 9.00बीधा नहरी , मु.न. 11 के कि.न. 1–2–3–4–5–6/6.00 7/0.05 [illegible] 6.05 बीधा नहरी तथा मु. न. 45 के कि.नं. 17/0.14, 18–19/2.00, 20/0.18, 21/0.18, 22 ता 25/4.00 कुल 8.10 बीघा नहरी भूमि की जारी की गई है। जिसकी समस्त राशी वादी के द्वारा जमा करवाई गई

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:43:27 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

9772280188

है। इस बात की पुष्टि वादी स्वयं अपने वाद-पत्र व शपथ -पत्र एवं आवंटन आदेश से होती है। तथा इस बात की पुष्टि तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक/1669 दिनांक 29.04.2024 में भी की है। अपने पत्र में तहसील राजस्व लेखाकार के सैल रजिस्टर में भी इसका नोट अंकित है। अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.04.2024 में यह भी उल्लेख किया कि मु.न. 45 के कि.न. 13/3 के .051, 17/2 के .126, 18/.253 , 19/1 के 0.076 है, कुल 0.506 है0 नहरी भूमि अराजीराज दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकबा खारिज सम्बन्धी कोई नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है, उक्त रकबा पर किसी न्यायालय का स्थगन आदि दर्ज नहीं है। इस रकबा बाबत वादी के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उक्त रकबा आवंटी रामचन्द पुत्र नत्थूराम को आवंटन हुआ हो। ऐसे में इस तनकी का निर्णय वादी के विरूद्व एवं प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है। ।

तनकी संख्या **(B)** आया कि मुताबिक जमाबन्दी में अंकन कि.न. 17-18-19-20-21,22 ता 25/4.00 कुल 8-10 बीघा यानि 2.151 होनी चाहिए जो सहवन से वर्तमान जमाबन्दी में कुल 1.645 दर्ज होने के स्थान पर 2.151संशोधन कराकर खातेदार घोषणा कराने का अधिकारी है ?

-:जिम्मेवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। इस तनकी का अधिकतर निर्णय तनकी नं. 1 में किया जा चुका है। विवादित भूमि वाके चक 59 एन पी के मु.न. 45 के 8-10 बीघा नहरी भूमि पुख्ता आवंटन है। जिसकी खातेदारी सं. 10684 दिनांक 30.01.1978 में मु.न. 45 के कि.नं. 17/0.14, 18-19/2.00, 20/0.18, 21/0.18, 22 ता 25/4.00 कुल 8.10 बीघा नहरी भूमि की जारी हो चुकी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार रायसिंहनगर अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.04.2024 में करता है। उक्त तथ्य के खण्डन में राज्य पक्ष की ओर साक्ष्य में वर्तमान रकबा की जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है। जिस में उक्त रकबा आराजी राज दर्ज है। जिसके खण्डन में वादी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह साबित होता हो कि उक्त रकबा आवंटी रामचन्द को आवंटन हुआ हो ? ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय वादी के विरूद्व किया जाता है।

तनकी संख्या **(C)** आया कि उक्त त्रुटि लिपकीय श्रेणी में नहीं होने से वाद खारिज योग्य है।

-:राजपेरोकार प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार राजपेरोकार प्रतिवादी पर था। राजपेरोकार प्रतिवादी द्वारा वर्तमान में जमाबन्दी में उक्त रकबा रकबा राज दर्ज है। जिसके खण्डन में वादी ने उक्त विवादित भूमि बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ना ही आवंटन आदेश प्रस्तुत किया है। जिससें से साबित होता हो कि यह विवादित भूमि वादी को आवंटन हुई हो। तनकी नं. 1-2 भी वादी के विरूद्व तय की जा चुकी है। ऐसे में इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

अतः वादी का वाद-पत्र उक्त तनकी वार वादी के विरूद्व तय होने के कारण वादी का वाद-पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-:आदेश:-

उक्त विवचेन के आधार पर वादी का वाद-पत्र खारिज किया जाता है। इस आशय की जयापत्र डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 10.2.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:43:27 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 98 / 2011
जीसीएमएस : 2011 / 00170
1.रामचन्द्र पुत्र श्री नत्थुराम जाति मेघववाल साकिन सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

बनाम —:वादी

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। —:प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 125–136 एलआरएक्ट,

——निर्णय——

दिनांक : 10.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री रविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता वादी , राजपेरोकार प्रतिवादी पेश होने पर हुकम दिया जाता है कि उक्त वाद पत्र वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज, अधिवक्तागण के कथनों एवं तथ्यों के आधार पर वादी का वाद–पत्र खारिज किया जाता है।

डिक्री आज दिनांक 10.02.2025 को जारी की गई।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:43:27 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner